

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

01.01.2026:- पत्रावली आज वादी जरिय अधिवक्ता श्री अशोककुमार भाभू के प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित 151 सी.पी.पी. मय संशोधित शीर्षक मय दस्तावेजात प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी मे लिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित 151 सी.पी.पी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी सख्या 1 हनुमान दिनांक 30.06.2025 को फौत हो चुके है। उनके स्थान पर उनके वारिसान को प्रतिस्थपित किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी अधिवक्ता पर **no objection** किया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर **no objection** किया जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक वादपत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण व प्रतिवादी का आपस मे राजीनामा हो गया इसलिए अपने वादपत्र मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहते। वादीगण का वादपत्र आज ही पेशी मे लिया जाकर **withdrawal** फरमाया जावे। वादीया अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादीया का उक्त प्रार्थना पत्र मयायाहित मे स्वीकार किया जाकर वादीगण के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर/अगुठा करवाया गया। वादीगण की पहचान वादीगण अधिवक्ता द्वारा की गई। वादीगण का वादपत्र वर्तमान स्तर पर विद्वा किया पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ